उत्तर प्रदेश जल निगम
के
कार्यकलाप
2009

उत्तर प्रदेश जल निगम
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226 001

प्रकाशक : प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226 001
दूरभाष : 2626497 फैक्स : 91-522-2623389
नोट : अग्रतर सूचना हेतु प्रकाशक से सम्पर्क किया जा सकता है।

मुद्रक : विद्या ऑफसेट, 13, फूलवाली गली, अमीनाबाद रोड,
लखनऊ। फोन : 2270461

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	संगठन	1–8
2.	नागर जल सम्पूर्ति	9–18
3.	नागर जलोत्सारण	19
4.	नदी/झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम	20–31
5.	ग्रामीण जल सम्पूर्ति	32–38
6.	राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ तथा सामुदायिक सहभागिता इकाई	39–48
7.	निर्माण एवं परिकल्प सेवायें	49–51
8.	वित्तीय प्राविधान एवं उपलब्धियाँ	52–53

1

स्वच्छ जल और साफ हवा।
सौ रोगों की यही दवा ।।

संगठन

संगठन

1.1 संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम सं0 43, 1975)के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिये एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किया गया, जिनके द्वारा अपने अधीन क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यो का रख-रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण/नदियों के प्रदूषण निवारण के निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यो को पूर्ण कराकर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रखरखाव हेतु सौंप दिया जाता है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रखरखाव बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान क्षेत्रों में जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रखरखाव जल निगम द्वारा किया जाता था, ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

1.2 जल निगम निदेशक मण्डल

अध्यक्ष के अतिरिक्त निगम के 10 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जल निगम के प्रबन्ध निदेशक जल सम्पूर्ति एवं सीवर व्यवस्था के विषय में अर्हता प्राप्त एवं इस विषय में पर्याप्त अनुभव तथा प्रशासकीय अनुभव वाले अभियन्ता होते हैं। वित्त निदेशक, जिन्हें वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी विषयों का अनुभव होता है, को भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जल निगम निदेशक मण्डल में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य हैं -

स्थाई सदस्य	पदेन सदस्य
1. अध्यक्ष 2. प्रबन्ध निदेशक 3. वित्त निदेशक	4. सचिव, नगर विकास, उ०प्र०शासन 5. सचिव, वित्त, उ०प्र०शासन 6. सचिव, नियोजन, उ०प्र०शासन 7. सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन 8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० 9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के 3 नियमित प्रधान, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के महानिदेशक को जल निगम की बैठकों में स्थाई आमंत्री के रूप में बुलाया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निगम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 के (अधिनियम सं0-43 सन्-1975) धारा-4 एवं 6 में संशोधन करते हुए ''राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्त तीन से अधिक गैर सरकारी व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगे'' को उत्तर प्रदेश जल निगम में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है तथा निदेशक मण्डल की बैठकों में भी भाग लेने हेतु नामित हैं।

1.3 उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण के लिये तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनायें तैयार करना ।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के

साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनर्वलोकन करना और उन पर सलाह देना ।

5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना ।
7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहाँ पर वर्णित नहीं हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व, 'तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग' द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्वलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ।
10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तो तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना ।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना ।
13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना ।
14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायें । निगम की समवाय ज्ञापिका(मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो ।

1.4 जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी :

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना;
2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे;
3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना;
5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;
7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये टैरिफ का अनुमोदन करना;
9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;
10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिये ऋण वितरण करना;

11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिये व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

1.5 जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 32 मण्डल एवं 142 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी एवं आगरा स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा लखनऊ स्थित मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	**क्षेत्र**	**मण्डल**	**खण्ड**
लखनऊ, इलाहाबाद, झाँसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा एवं वि0/याँ0	6(सिविल) 1 (वि0/याँ0)	26(सिविल) 06(वि०/याँ)	117(सिविल) 25(वि०/याँ)
योग	**7**	**32**	**142**

उत्तर प्रदेश जल निगम में स्वीकृत पदों की संख्या

(दिनांक 1.10.2008 तक की स्थिति)

क्रम	समूह	पदनाम	उत्तर प्रदेश जल निगम में उपलब्ध स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.		अध्यक्ष	1
2.		प्रबन्ध निदेशक	1
3.		वित्त निदेश्क (प्रतिनियुक्ति पर)	1
4.		मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)	4
5.		मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)	08
6.		मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉं0)	01
7.		अधीक्षण अभियन्ता(सिविल)	43
8.		अधीक्षण अभियन्ता(वि०/यॉ)	08
9.		मुख्य लेखाधिकारी	01
10.		मुख्य आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
11.	क	विधि परामर्शदाता (प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर)	01
12.		मैनेजर(ग्राउण्ड वाटर)	01
13.		वरिष्ठ हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
14.		वरिष्ठ जियोफिजिस्ट	01
15.		वित्त विश्लेषक (प्रतिनियुक्ति पर)	01
16.		प्रबन्धक(ई०डी०पी०सेल)	01
17.		अधिशासी अभियन्ता(सिविल)	167
18.		अधिशासी अभियन्ता(वि०/यॉं)	32
19.		वरिष्ठ लेखाधिकारी	8
20.		सिस्टम एनालिस्ट	2
21.		शोध अधिकारी	2
		योग	**286**

1.	**ख**	सहायक अभियन्ता(सिविल)	650
2.		सहायक अभियन्ता(वि०/याँ)	96
3.		लेखाधिकारी	12
4.		सहायक शोध अधिकारी	6
5.		सहायक हाइड्रोजियोलाजिस्ट	4
6.		सहायक जियोफिजिस्ट	1
		योग	**769**
1.	ग	जूनियर इंजीनियर(सिविल)	1868
2.		जूनियर इंजीनियर(वि०/याँ)	341
3.	**तकनीकी**	जूनियर इंजीनियर(तकनीकी सिविल)	21
4.	**(ग)**	जूनियर इंजीनियर(तकनीकी वि०/याँ)	19
5.		संगणक	114
6.		मानचित्रक	374
7.		मुख्य मानचित्रक	53
8.		कन्सोल आपरेटर	2
		योग	**2792**
	अतकनीकी		
1.	**लेखा**	सहायक लेखाधिकारी	4
2.	**ग**	लेखाकार	253
3.		**ग वर्ग लेखा योग**	**257**
1.	**क्षेत्र**	अनुभाग अधिकारी(क्षेत्र)	4
2.	**ग**	प्रधान सहायक (मण्डल)	31
3.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक(क्षेत्र)	8
4.		मुख्य लिपिक (खण्ड)	142
5.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक(मण्डल)	66
6.		आलेखक प्रालेखक(मण्डल/(खण्ड))	484

7.		नैत्यिक लिपिक(क्षेत्र)	806
8.		वाहन चालक	376
9.		स्टोर कीपर(क्षेत्र)	38
10.		आशुलिपिक(ग्रेड-4)	142
11.		आशुलिपिक(ग्रेड-3)	31
12.		निजी सचिव(क्षेत्र)	5
		ग वर्ग क्षेत्र योग	2133
1.	**मुख्यालय**	निजी सचिव(ग्रेड-1)	5
2.	**(ग)**	निजी सचिव(ग्रेड-2)	9
3.		वैयक्तिक सहायक	7
4.		आशुलिपिक ग्रेड-3	58
5.		वैयक्तिक सहायक (अतकनीकी)	7
6.		अनुभाग अधिकारी	30
7.		सहायक विधि अधिकारी	1
8.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक	92
9.		कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक	77
10.		नैत्यिक लिपिक	101
11.		पुस्कालयाध्यक्ष	1
12.		वरिष्ठ लैब सहायक	6
13.		टेलीफोन आपरेटर	3
		ग वर्ग मुख्यालय योग	**397**
		ग वर्ग कुल योग	**5579**
1.	**घ**	चतुर्थ श्रेणी	1452
		समूह क,ख,ग,घ योग	**8086**
1.		नियमित कर्मचारी (फील्ड)	7230

2

नागर जल सम्पूर्ति

नागर जल सम्पूर्ति

1.1 प्रदेश में कुल 628 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 3.26 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 16.61 करोड़ का लगभग 20 प्रतिशत है। उक्त 627 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की 1.4.2008 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	12	12
नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	422	419
योग	**628**	**625**

1.2 वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगर
1.	10 लाख से अधिक	150	5	5
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	45	24
3.	20000 से 1 लाख तक	135/70	225	25
4.	20000 से कम	135/70	353	1
	योग		**628**	**55**

(जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है उनमें 135 ली0प्रति व्यक्ति प्रति दिन।)

2 नागर जलसम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम

2.1 सामान्य जलसम्पूर्ति कार्यक्रम

पूर्व में राज्य के नगरों में जलसम्पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। परन्तु 74 वें संविधान संशोधन के उपरान्त जलसम्पूर्ति योजनाओं हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

वर्ष 2000-2001 से राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सामान्य जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी राशि स्वीकृत नही की गई है। यद्यपि नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना में इस योजना हेतु परिव्यय का आवण्टन किया गया, परन्तु शासकीय बजट की अनुपलब्धता के कारण शासन द्वारा कोई भी स्वीकृति जारी न हो सकी। वर्ष 2005-06 में प्रदेश की वार्षिक योजना में सामान्य जलसम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 2680.00 लाख का प्राविधान किया गया तथा यह धनराशि वर्ष 2005-06 के बजट में स्वीकृत की गई थी। पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2006-07 में रु0 1000.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 1153.06 लाख की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2007-08 में रु0 2100.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें रु0 38.50 लाख छोड़कर शेष धनराशि फील्ड को अवमुक्त की जा चुकी है। वर्ष 2008-09 हेतु रु0 1400.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष रु0 705.19 लाख स्वीकृत किया जा चुका है एवं विभिन्न क्षेत्रों को अवमुक्त किया जा चुका है।

2.2 त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम

त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने हेतु यह केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है, जिसका वित्त पोषण 50:50 के अनुपात में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

रू0 30829.75 लाख की 390 योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं। स्वीकृत योजनाओं का केन्द्रांश एवं राज्यांश प्रत्येक रू0 15414.88 लाख है। भारत सरकार से पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। 390 योजनाओं में से अक्टूबर 2008 तक 324 योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 247 योजनायें सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हस्तगत कर दी गयीं हैं। 43 अन्य योजनाओं के हस्तान्तरण प्रपत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेज दिये गये हैं। 135 योजनाओं की लेखाबन्दी की जा चुकी है तथा 100 योजनाओं की कम्पलीशन रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गयी है।

अब इस कार्यक्रम के स्थान पर भारत सरकार द्वारा दो नये कार्यक्रम क्रमशः जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन तथा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स प्रस्तावित किये गये हैं।

3. जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0एन0 यू0आर0एम0) एवं अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0)।

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुधार हेतु जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०) एवं अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी०) कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट), स्वच्छता, सड़क नेटवर्क, नगरीय परिवहन आदि जैसे अवस्थापना कार्यो तथा चयनित नगरों के पुराने क्षेत्रों के अन्दरूनी इलाकों के पुनर्विकास हेतु डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करके उनकी स्वीकृति के उपरान्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मा०मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया गया है।

3.1 जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०) :-

उक्त मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से 7 साल के लिए निर्धारित है। कार्यक्रम का उद्‌घाटन मा०प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा 03.11.2005 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 63 नगरों का चयन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 7 नगर यथा लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा नगरों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनाओं का विरचन नगर के सिटी डेवलपमेन्ट प्लान बनाकर उसके अनुसार किया जा रहा है।

वित्त पोषण हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले उक्त प्रथम 6 नगरों में योजना की लागत की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के अनुदान एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा ऋण अथवा स्वयं के आन्तरिक श्रोतों से वहन करनी होगी। मथुरा नगर हेतु उक्त प्रतिशत क्रमश: 80:10:10 है। भारत सरकार की मार्ग-दर्शिका के अनुसार योजनाओं के प्राक्कलन विरचन, ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग, कार्य क्षमता तथा इनोवेटिव एप्रोच हेतु 5 प्रतिशत एवं प्रशासनिक व्यय हेतु 5 प्रतिशत का प्राविधान है।

जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा 2007-08 में लखनऊ, कानपुर, आगरा, नगरों के दो-दो तथा इलाहाबाद व वाराणसी नगरों के एक-एक प्राक्कलन अर्थात् कुल 8 प्राक्कलन भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रू० 1477.79 करोड़ हेतु स्वीकृत किये गए। उक्त स्वीकृति 8 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को सम्बन्धित स्थानीय निकाय से वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू0 128.75 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके विरूद्ध रू० 60.86 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय को वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रेषित कर दिया गया था। उक्त 8 योजनाओं

में से इलाहाबाद, वाराणसी तथा लखनऊ जलोत्सारण योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ कर दिया गया था।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगर निगम, मेरठ द्वारा विरचित मेरठ पेयजल योजना का प्राक्कलन भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रू० 273.00 करोड़ हेतु स्वीकृत किया गया था, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था, परन्तु इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में उ0प्र0 जल निगम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचित कानपुर जलोत्सारण योजना एवं वाराणसी पेयजल योजना (सिस वरूणा) के प्राक्कलन को भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रू० 187.55 करोड़ हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनपर अभी तक उत्तर प्रदेश जल निगम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद व लखनऊ नगर के दो-दो तथा वाराणसी व मथुरा नगर के एक-एक प्राक्कलन, (व्यय वित्त समिति द्वारा कुल अनुमोदित लागत रू० 1300.64 करोड़), राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदित कराकर भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर व मथुरा नगरों के एक-एक प्राक्कलन कुल अनुमानित लागत रू० 1205.16 करोड़ विरचित करके निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजे जा चुके हैं, जिनपर राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकायों से उत्तर प्रदेश जल निगम को अब तक रू० 168.90 करोड़ अर्थात् प्रारम्भ से अब तक कुल 297.65 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिनके विरूद्ध उ०प्र० जल निगम द्वारा दिनांक 31.10.2008 तक रू० 190.44 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नगर के स्थानीय निकाय को प्रेषित किया जा चुका है। उ०प्र० जल निगम द्वारा 9 योजनाओं पर, जिन पर धनराशि प्राप्त हो गई है, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में उक्त समस्त 9 योजनाओं पर भारत सरकार से द्वितीय किश्त, प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में अब तक स्वीकृत 2 योजनाओं की प्रथम किश्त मिलने का अनुमान है, जो कि राज्य सरकार/स्थानीय निकाय का अंश मिलाकर लगभग रू० 650.00 करोड़ होती है। वार्षिक योजना 2008-09 में नियोजन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 850.00 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त समस्त योजनाओं (स्वीकृत एवं विरचित) की एक-एक किश्त मिलने का अनुमान है, जो कि लगभग रू0 1000.00 करोड़ होगी।

3.2 अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू0आई0 डी0एस0एस0एम0टी0) :-

इस कार्यक्रम में वे सभी नगर लिए जा सकते हैं, जो जे०एन०एन० यू०आर०एम० में नहीं लिये गये हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम में क्रमशः मण्डल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, ग्रोथ सेन्टर व सांस्कृतिक महत्व के शहरों को क्रमवार प्राथमिकता प्रदान की गई है। कार्यक्रम के वित्तीय पोषण के अनुसार योजना की लागत की 80: राशि केन्द्र सरकार के अनुदान एवं 10: राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष 10: राशि सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा ऋण अथवा स्वयं के आन्तरिक स्रोतों से अथवा विधायक/सांसद निधि से वहन करनी होगी। भारत सरकार की मार्ग दर्शिका के अनुसार योजनाओं के प्राक्कलन विरचन, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट, कार्यक्षमता तथा इनोवेटिव एप्रोच हेतु 5: का प्राविधान है।

यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में सम्पन्न हुई प्रथम बैठक दिनांक 08.09.2006 उ०प्र० जल निगम के 6 प्राक्कलन (कुल स्वीकृत लागत रू० 106.45 करोड़) एवं द्वितीय बैठक दिनांक 10.11.2006 को 6 प्राक्कलन (कुल स्वीकृत लागत रू० 178.54 करोड़) स्वीकृत हुए थे।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार स्वीकृति समिति की तृतीय बैठक दिनांक 16.07.2007 को उ०प्र० जल निगम के 9 प्राक्कलन (कुल स्वीकृत लागत रू० 176.45 करोड़), चतुर्थ बैठक दिनांक 13.09.2007 को 5 प्राक्कलन (कुल स्वीकृत लागत रू० 75.19 करोड़) तथा षष्टम बैठक दिनांक 10.01.2008 को 1 प्राक्कलन (कुल स्वीकृत लागत रू० 103.32 करोड़) अर्थात् कुल रू० 354.96 करोड़ के 15 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे। उक्त 27 प्राक्कलनों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2007-08 में उ०प्र० जल निगम को सम्बन्धित नगरों के स्थानीय निकायों से मात्र रू० 18.12 करोड़ 6 योजनाओं पर प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध उ०प्र० जल निगम द्वारा रू० 13.03 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय को प्रेषित कर दिया गया था तथा इन सभी 6 योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार स्वीकृति समिति की नवम् बैठक दिनांक 05.08.2008 को उ०प्र० जल निगम की 13 योजनाओं (कुल स्वीकृत लागत रू० 125.52 करोड़) स्वीकृत हुई है, जिन पर अभी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० जल निगम द्वारा 69 योजनायें (अनुमानित लागत रू० 3323. 75 करोड़) विरचित करके निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० को प्रेषित की जा चुकी है, जिन पर राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकायों से उ०प्र० जल निगम को अब तक रू० 59.06 करोड़ अर्थात् प्रारम्भ से अब तक कुल रू० 72.63 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध उ०प्र० जल निगम द्वारा दिनांक 31.10.2008 तक रू० 42.62 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नगर के स्थानीय निकाय को प्रेषित किया जा चुका है। उ०प्र० जल निगम को 19 योजनाओं पर अब तक धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध 18 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में उक्त कार्यक्रम में स्वीकृत समस्त 40 योजनाओं की प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि तथा 6 योजनाओं की द्वितीय किश्त कुल लगभग

रू० 300.00 करोड़ और मिलने की सम्भावना है तथा अवशेष 22 योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है। वार्षिक योजना 2008-09 में नियोजन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 282.00 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त समस्त योजनाओं की द्वितीय किश्त अर्थात् लगभग रू० 400.00 करोड़ मिलने की सम्भावना है।

4. जिला योजना

वर्ष 2007-08 में रु0 10000.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया जिसमें रु0 9000.00 लाख अवमुक्त हुआ। वर्ष 2008-09 में रु0 12000.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से रु0 8000.00 लाख की स्वीकृति हो चुकी है तथा रु0 4000.00 लाख आहरित कर क्षेत्र को कार्य हेतु प्रेषित किया जा चुका है शेष रु0 4000.00 लाख की धनराशि शासनादेश की शर्त के कारण आहरित नहीं हो सकी है।

5. मुख्य नगरों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु बैराज परियोजनायें

आगरा, मथुरा, वृन्दावन एवं कानपुर नगरों में पेयजल के दीर्घकालीन समाधान हेतु बैराज निर्माण परियोजनाओं द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। मथुरा-वृन्दावन की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु यमुना नदी पर गोकुल के समीप गोकुल बैराज निर्मित किया गया है। गोकुल बैराज से मथुरा तथा वृन्दावन नगरों को 30 क्यूसेक पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त बैराज से ही आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु भी 115 क्यूसेक जल उपलब्ध कराया जायेगा । कानपुर नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कानपुर में भी गंगा नदी पर लवकुश बैराज का निर्माण कराया गया है। बैराजों का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग

द्वारा सम्पादित किया गया है तथा पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं।

गंगा नदी पर बैराज का निर्माण हो जाने पर कानपुर महानगर को 1600 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो सकेगा। बैराज कम्पोनेन्ट की स्वीकृत लागत रू0 412.44 करोड़ है तथा जलसम्पूर्ति कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत कानपुर नगर के पश्चिमी सर्विस डिस्ट्रक्ट को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रु0 90.40 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। सिंचाई विभाग द्वारा शोधन हेतु कच्चा जल अप्रैल 2005 में उपलब्ध करा दिया गया है। रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन एवं जल शोधन संयंत्र को कमीशन कर पश्चिमी सर्विस डिस्ट्रिक्ट के सभी जोन सं0 1,2,3,4 एवं 5 से 11 को स्वच्छ जल की आपूर्ति आरम्भ कर दी गई है। समस्त मुख्य कार्य पूर्ण है।

6. विशेष पैकेज

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज, मध्यांचल पैकेज, पश्चिमांचल पैकेज तथा पूर्वान्चिल पैकेज के अन्तर्गत रू0 2429.31 लाख की 23 योजनायें वर्ष 2001-02 में स्वीकृत हुयी हैं जिसके सापेक्ष मार्च 2008 तक रू0 1853.46 लाख व्यय किया जा चुका है तथा 23 योजनाओं में से 20 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। चित्रकूट धाम, कर्वी और महोबा की कुलपहाड़ पुनर्गठन पेयजल योजना फेज-।। का कार्य प्रगति पर है। महोबा पेयजल योजना का कार्य अब राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

7. नये हैण्डपम्प एवं हैण्डपम्प रीबोर

प्रदेश के नगरों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के रखरखाव का दायित्व स्थानीय निकाय का है परन्तु रीबोर की स्थिति में धन की उपलब्धता के आधार पर जल निगम द्वारा रीबोर की कार्यवाही की जाती है।

नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन भी धन की उपलब्धता के आधार पर जल

निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005-06 में मा0 विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर 9000 हैण्डपम्पों व मा0 सांसदों द्वारा चयनित स्थलों पर 780 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु एवं 7634 हैण्डपम्प रीबोर हेतु कुल रु0 35.08 करोड वर्ष 2006-07 में तथा मा0 सांसद तथा मा0 विधायक के हैण्डपम्पों हेतु रु0 23.96 करोड़ अर्थात कुल रु0 59.04 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 29.21 करोड़, वर्ष 2006-07 के शासनादेश की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अब तक रु0 9.29 करोड़, इस प्रकार कुल रु0 38.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत होकर क्षेत्र को अवमुक्त की जा चुकी है जिससे हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं रीबोर का कार्य किया गया/किया जा रहा है।

8. बाह्य सहायतित योजनायें

जे.बी.आई.सी. सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) योजना

केबिनट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 14 मार्च 2005 को सम्पन्न बैठक में अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर जिले में स्थित) से गंगा जल को आगरा नगर के दोनों वाटर वर्क्स (जीवनी मण्डी व सिकन्दरा स्थित) तक लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कच्चे जल का विभिन्न स्रोतों पर विचार करने के उपरान्त पलरा-हेडवर्क्स से आगरा तक 130 किलोमीटर लम्बी पाइप लाईन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम.एल.डी.) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव ही सबसे मितव्ययी एवं जल की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित कार्यो की लागत रु. 1179.72 करोड़ आँकी गई है जिसका वित्त विभाग द्वारा मूल्यांकन रु0 1076.98 करोड़ हेतु किया गया। योजना का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार एवं जे.बी.आई.सी. द्वारा किया जाना है जिसमें 85 प्रतिशत जे.बी.आई.सी. से तथा 15 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस योजना के लिये वर्ष 2007-08 में रु0 700.00 लाख स्वीकृत किया गया था जो क्षेत्र को प्रेषित है। वर्ष 2008-09 के बजट में रु0 90.00 करोड़ का प्राविधान है जिसके समक्ष स्वीकृति के अनुसार रु0 45.00 करोड़ आहरित कर क्षेत्र को भेजा जा चुका है।

3

नागर जलोत्सारण

नागर जलोत्सारण

1. प्रदेश में कुल 628 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	12	11	1
नगर पालिका परिषद	194		154
नगर पंचायत	422		418
योग	**628**	**55**	**573**

उपरोक्त सभी 55 नगरों में आंशिक रुप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है। अधिकांश नगरों में विद्यमान सीवर प्रणाली चोक है तथा सफाई किया जाना आवश्यक है तथा कतिपय स्थानों पर पूर्व में बिछायी गयी सीवर लाइनें जो कम गहरायी पर हैं, के समानान्तर अधिक गहरायी पर सीवर लाइन बिछाने की आवश्यकता है।

2. जलोत्सारण सामान्य कार्यक्रम

वर्ष 2007-08 हेतु रू0 1500.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से रू0 270.50 लाख की धनराशि छोड़कर शेष क्षेत्रों को अवमुक्त की जा चुकी है। वर्ष 2008-09 हेतु रू0 3639.00 लाख का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 1250.00 लाख अवमुक्त कियाजा चुका है। यह धनराशि क्षेत्रों को अवमुक्त की जा चुकी है।

4

नदी / झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

नदी / झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

(माह अक्टूबर– 2008 तक की प्रगति के अनुसार)

4.1 देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिस्पिल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं । फरवरी 1985 में माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में, गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक परियोजना प्रारम्भ की गयी । उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण को एक लाख आबादी से अधिक जनसंख्या वाले नगर में ही लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तरांचल राज्य में) , फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया। इन नगरों की कोर सेक्टर की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया।

4.2 गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना का उद्देश्य गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम कर उसे स्नान योग्य बनाना है अर्थात् बायोलोजिकल ऑक्सीजन डिमान्ड (बी.ओ.डी.) की मात्रा 3.00 मिलीग्राम प्रति लीटर (अधिकतम) तथा डिजाल्व्ड ऑक्सीजन (डी.ओ.) की मात्रा 5.00 मिलीग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) तक सीमित करना है। प्रथम चरण में रू. 184.84 करोड़ की कुल 106 योजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 योजनायें रू. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयी, जिनके लिये भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत धन उपलब्ध कराया गया। परन्तु कानपुर नगर की चमड़ा उद्योग इकाईयों से निकलने वाले प्रदूषित जल के उपचार के लिये व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 23.44 करोड़ में से 17.5 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा, 17.5 प्रतिशत चमड़ा उद्योग इकाईयों द्वारा तथा 65 प्रतिशत धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया।

ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

क्र. स.	नगर का नाम	पम्पिंग स्टेशन	संख्या	क्षमता (एम.एल.डी.)	शवदाह गृह	शौचालय	नदी घाटों का विकास
1	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	2	1	2.70	4	2	1
2	कानपुर	8	3	171.00	2	4	-
3	इलाहाबाद	7	1	60.00	2	2	2
4	मिर्जापुर	2	1	14.00	3	1	1
5	वाराणसी	8	3	101.80	1	3	4
	योग	**27**	**9**	**349.50**	**11**	**12**	**8**

वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 397.70 एम.एल.डी. सीवेज को डाइवर्ट कर 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये । इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 11 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया जिसका नगर वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है ।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) में पूर्ण कराये गये कार्य :-

4.3 गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

4.3.1 गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये । गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार वित्त पोषण की नीति निर्धारित की गयी ।

1. मार्च 1997 तक द्वितीय चरण की योजनाओं का व्यय भार केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया गया ।

2. मार्च 1997 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय चरण की योजनाओं का व्यय भार इन शर्तों पर वहन करने का निर्णय लिया गया कि (अ) दिनांक 1.4.97 के पश्चात् योजनाओं हेतु आवश्यक भूमि की लागत प्रदेश सरकार वहन करेगी, (ब) कुल 14 प्रतिशत सेन्टेज में से दिनांक 1.4.97 के पश्चात् केन्द्र सरकार 8 प्रतिशत सेन्टेज ही वहन करेगी, (स) सी.सी.ई.ए. लागत से अधिक व्यय का वहन प्रदेश सरकार करेगी, तथा (द) केन्द्र सरकार सीधे कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित करेगी ।

3. दिनांक 01.04.2003 के पश्चात स्वीकृत सी.सी.ई.ए. के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में किया जायेगा।

4. दिनांक 01.04.2003 से पूर्व स्वीकृत सी.सी.ई.ए. के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 23 नगरों में, गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण के 5 नगर भी सम्मिलित हैं । गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक कमशः यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना, गंगा–मेन स्टेम, गंगा–सुप्रीम कोर्ट तथा गंगा सपोर्ट प्रोजेक्ट हैं । भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल रु. 948.41 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है । स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत के समक्ष नवम्बर, 2007 तक रु. 1008.13 करोड़ की 221 योजनायें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिनमें भारत सरकार का अंश रु. 742.95 करोड़ है । स्वीकृत 221 योजनाओं में से 196 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा माह दिसम्बर, 2007 के अन्त तक कुल रु. 571.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है, जिसमें केन्द्रांश पर व्यय रु. 434.62 करोड़ तथा राज्यांश पर व्यय रु. 136.71 करोड़ है ।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत यमुना कार्य योजना के 8 नगरों में कुल 402.25 एम.एल.डी. क्षमता के 16 सीवेज शोधन संयंत्र तथा गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत 43.70 एम.एल.डी. क्षमता के 2 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर क्रियाशील बनाये जा चुके है । गंगा कार्य योजना के विभिन्न घटकों का घटक वार सार निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

	घटक	स्वीकृत सी.सी. ई.ए. लागत	स्वीकृत योजनायें			10/2008 तक व्यय		भौतिक प्रगति (%)	पूर्ण योज-नाओं की संख्या
			संख्या	लागत					
				कुल	केन्द्रांश	कुल	केन्द्रांश		
1	यमुना	260.89	88	257.20	207.03	252.23	207.61	100%	88
2	यमुना (एक्सटेन्डेड फेज)	29.65	57	35.92	34.07	33.06	31.34	100%	57
3	यमुना (द्वितीय चरण)	124.13	5	126.94	90.23	51.62	38.97	41%	2
4	गोमती- सुल्तानपुर-जौनपुर	10.72	12	12.37	5.36	11.73	5.33	98%	11
5	गोमती- लखनऊ ।	50.29	10	44.93	38.17	36.56	31.74	77%	8
6	गोमती- लखनऊ ।।	263.26	1	263.04	184.13	112.68	58.54	26%	0
7	गंगा- मेन स्टेम	101.04	22	118.44	77.20	84.09	54.79	73%	13
8	गंगा- सुप्रीम कोर्ट	18.14	10	12.74	9.25	7.38	5.09	58%	7
9	गंगा- सपोर्ट प्रोजेक्ट	90.29	16	115.36	81.91	104.16	66.88	72%	10
10	राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम	22.72	1	22.72	15.90	2.64	1.81	18%	0
	योग	971.13	222	1009.65	743.25	696.15	502.09	67%	196

4.4 यमुना कार्य योजना

गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के विभिन्न घटकों का घटक वार विवरण निम्नानुसार है:-

4.4.1 यमुना कार्य योजना, के प्रथम चरण की कुल रू. 260.89 करोड़ की स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत से 8 नगरों क्रमशः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोयडा, आगरा, मथुरा, इटावा तथा वृन्दावन में क्रियान्वित की गयी हैं । यमुना कार्य योजना की योजनाओं के लिये जापान सरकार से बाह्य सहायता

प्राप्त की गयी । इस घटक के अंतर्गत प्रस्तावित रु. 257.20 करोड़ लागत की समस्त 88 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत 402.25 एम.एल.डी. क्षमता के 16 सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें क्रियाशील बनाया जा चुका है । इस घटक पर अद्यतन रु. 252.23 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

यमुना कार्य योजना हेतु बाह्य सहायता के अन्तर्गत 'एक्सचेन्ज रेट' में बचत के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना के उपरोक्त 8 नगरों हेतु यमुना कार्य योजना (एक्सटेन्डेड फेज) के अन्तर्गत रु. 29.65 करोड़ की अतिरिक्त सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी । एक्सटेन्डेड फेज की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रु. 35.81 करोड़ लागत की समस्त 57 योजनाओं के कार्य भी पूर्ण किये जा चुके हैं । इस घटक पर अद्यतन रु. 33.06 करोड़ जा चुका है ।

4.5 गोमती कार्य योजना

गोमती कार्य योजना, गोमती नदी के तट पर स्थित तीन नगर क्रमशः लखनऊ, जौनपुर तथा सुल्तानपुर में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रू. 61.01 करोड़ से कार्यान्वित की जा रही है।

जौनपुर तथा सुल्तानपुर नगरों में स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 10.72 करोड़ के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 21 योजनाओं में से 12 योजनाऐं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । स्वीकृत 12 योजनाओं में से 11 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 1 योजना के कुछ अवशेष कार्य निर्माणाधीन हैं। इन नगरों में अद्यतन रु. 11.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

इन नगरों के कार्यों के स्कोप तथा लागत में वृद्धि होने के कारण अवशेष कार्यों को स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है । अतः सुल्तानपुर व जौनपुर नगरों के नदी प्रदूषण नियंत्रण तथा सीवरेज से सम्बन्धित कार्य

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये हैं, इनकी योजनायें विरचनाधीन हैं ।

लखनऊ नगर में गोमती नदी का प्रदूषण मुख्यत: नगर क्षेत्र के 26 नालों से होता है। लखनऊ नगर में गोमती प्रदूषण नियंत्रण योजनायें सर्व प्रथम वर्ष 1997 में यूनाइटेड किंगडम के ओ.डी.ए. फण्ड से प्राप्त सहायता से प्रारम्भ की गयी थी जिसके अंतर्गत रू. 6.10 करोड़ लागत की योजनायें पूर्ण की गयी, जिन पर रु. 5.92 करोड़ का व्यय किया गया, जिनके अन्तर्गत 1 नाला (गऊघाट नाला) डाईवर्ट किया गया है । अवशेष उपलब्ध सी.सी.ई.ए. लागत लगभग रु. 43.00 करोड़ के अंतर्गत प्रथम चरण में नगर के पॉच नालों, नगरिया नाला, पाटा नाला, सरकटा नाला, वजीरगंज नाला तथा घसियारी मण्डी नाला के 108.00 एम.एल.डी. उत्प्रवाह का डाइवर्जन तथा दौलतगंज में 42.00 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण कर चालू किया जा चुका है । गोमती कार्य योजना- प्रथम चरण के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10 योजनाओं में से 8 के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 2 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । लखनऊ- प्रथम चरण की योजनाओं पर अद्यतन रु. 36.56 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

नगर के शेष नालों के डाईवर्जन तथा सीवेज शोधन हेतु भारत सरकार गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु रु. 263.04 करोड़ लागत की योजना स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत कुल 345.00 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के दो नये सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जाने हैं तथ दौलतगंज में निर्मित 42.00 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता में 5.00 एम.एल.डी. की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है । वर्तमान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 345.00 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं । लखनऊ- द्वितीय चरण की योजनाओं पर अद्यतन रु. 112.68 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

4.5.1 गंगा कार्य योजना – मेंन स्टेम

इस घटक के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित 4 नगरों

नामतः फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, मिर्जापुर(विन्ध्याचल), इलाहाबाद, तथा वाराणसी के अतिरिक्त गंगा नदी के तट पर स्थित 4 अन्य नगरों क्रमशः गढ़मुक्तेश्वर, मुगलसराय, सैदपुर तथा गाजीपुर, अर्थात कुल 8 नगरों को सम्मिलित किया गया है । इन नगरों हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 101.04 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है ।

इस घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 20 योजनायें तथा राज्य सरकार द्वारा 2 योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनकी कुल लागत रु. 118.44 करोड़ है । स्वीकृत कुल 22 योजनाओं में से 12 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 10 योजनायें निर्माणाधीन हैं । इस घटक पर अद्यतन रु. 84.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

4.5.2 गंगा कार्य योजना- सुप्रीम कोर्ट

गंगा कार्य योजना-सुप्रीम कोर्ट के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गंगा नदी के तट पर स्थित 3 नगर बिजनौर, अनूपशहर तथा चुनार में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 18.14 करोड़ से क्रियान्वित की जा रही हैं । इस घटक के अन्तर्गत रु.12.74 करोड़ लागत की 10 योजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । स्वीकृत 10 योजनाओं में से 7 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 3 योजनायें निर्माणाधीन हैं । इस घटक पर अद्यतन रु. 7.38 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

4.5.3 गंगा एक्शन प्लान सपोर्ट प्रोजेक्ट, कानपुर

कानपुर नगर में प्रदूषण नियंत्रण के कार्य गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में नीदरलैंड सरकार की सहायता से कराये गये थे । गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के अंन्तर्गत केवल 171 एम.एल.डी. सीवेज का ही उपचार किया गया, जबकि कानपुर नगर में कुल 371 एम.एल.डी. सीवेज उत्पन्न होता है। अभी भी लगभग

200 एम.एल.डी. सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है । इस 200 एम.एल.डी. सीवेज को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रण के शेष कार्य गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित किये गये हैं जिसके लिये प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त की गयी थी, जो कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2004 से समाप्त करते हुए योजना को शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत कुल प्रस्तावित 16 योंजनाओं में से 14 योजनायें भारत सरकार तथा 2 योजनायें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । स्वीकृत कुल 16 योजनाओं में से 10 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 6 योजनायें निर्माणाधीन हैं । 200 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयत्र की योजना अब अन्य कार्यक्रम 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' के अन्तर्गत भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं।

4.5.4 यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण)

यमुना कार्य योजना- प्रथम चरण के अन्तर्गत आगरा नगर में प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत आगरा नगर में 90.25 एम.एल.डी. क्षमता के 3 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये गये हैं । भारत सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आगरा नगर हेतु रु. 124.13 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है । जिसमें नगर के 'नार्दर्न जोन' व 'वेस्टर्न जोन' के नालों के डाईवर्जन, सीवेज शोधन संयंत्रों तथा भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 85.63 करोड़, जन सहभागिता व जन जागरूकता हेतु रु. 25.50 करोड़ तथा यमुना कार्य योजना (तृतीय चरण) के नगरों के प्राक्कलन विरचन हेतु रु. 13.00 करोड़ का प्राविधान है । यमुना कार्य योजना-द्वितीय चरण के कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा जापान सरकार की संस्था जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है, परन्तु राज्य सरकार के लिये यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है ।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आगरा नगर में प्रस्तावित कार्यों के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 8.

10 करोड़ (राज्य सरकार के अंश सहित कुल लागत रु. 8.14 करोड) तथा नगर के 'नार्दर्न जोन' व 'वेस्टर्न जोन' के सीवरेज कार्यो हेतु डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा अनुमानित लागत रु. 84.39 करोड़ (राज्य सरकार के अंश सहित कुल लागत रु. 94.13 करोड) स्वीकृत की जा चुकी है । योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य प्रगति पर हैं ।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) हेतु स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 124. 13 करोड़ में यमुना कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित 8 नगरों के अवशेष कार्यो के प्राक्कलन विरचन हेतु रु. 13.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया है उक्त के साथ-साथ इन नगरों में 'रिफार्म एक्शन प्लान' तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवम् जन सहभागिता व जन जागरूकता हेतु भी रु. 25.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है । इन कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा योजनायें स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत 'रिफार्म एक्शन प्लान' योजना के कार्य पूर्ण कर इस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है तथा जन सहभागिता व जन जागरूकता की योजना के कार्य प्रगति पर हैं । इन योजनाओं पर अद्यतन रु. 51.62 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

4.5.5 महानगरों में जापान सरकार (जे.बी.आई.सी.) सहायतित कार्यक्रम

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवम् वाराणसी नगरों में भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत कार्यो के अतिरिक्त अवशेष कार्यो के लिये तथा वर्ष 2030 की आवश्यकता के लिये भारत सरकार द्वारा जापान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है । इसके अन्तर्गत जापान सरकार की संस्था जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) की स्टडी टीम द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम, सम्बन्धित जल संस्थान व सम्बन्धित नगर निगमों की सहायता से 4 महानगरों हेतु वर्ष 2015 व वर्ष 2030 की आवश्यकताओं के लिये 'सीवरेज मास्टर प्लान' तैयार किये गये हैं तथा इन महानगरों के 'सीवरेज मास्टर प्लान' के आधार पर वर्ष 2015 की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता वाले कार्यो के लिये 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' भी तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है । 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' पर भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा

वर्ष 2015 के प्राथमिकता वाले कार्यों के लिये जापान सरकार की अन्य संस्था 'जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन' (जे.बी.आई.सी.) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी प्रस्तावित है ।

जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा तैयार की गयी 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' के आधार पर 4 महानगरों हेतु निम्नानुसार लागत का अनुमान दिया गया है।

महानगर का नाम	वर्ष 2015 की आवश्यकता हेतु	वर्ष 2030 की आवश्यकता हेतु
लखनऊ	372.48	3484.70
इलाहाबाद	304.32	1056.00
कानपुर	422.28	2729.50
वाराणसी	483.18	1347.30
योग	**1582.26**	**8617.50**

उपरोक्त 4 महानगरों में से वाराणसी नगर के कार्यो को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार द्वारा वाराणसी नगर की 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' का अनुमोदन किया जा चुका है तथा वाराणसी नगर में प्रस्तााावित कार्यो के लिये बाह्य सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मार्च, 2005 में जे.बी.आई.सी. के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके है । समझौते के अनुसार वाराणसी नगर में प्रस्तावित सीवरेज व नौन-सीवरेज कार्यो के विस्तृत डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 405.00 करोड़ जल निगम व नगर निगम, वाराणसी द्वारा विरचित कर फरवरी, 2006 में राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किये जा चुके हैं तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजना की लागत का पुनरीक्षण कर माह अक्टूबर, 2008 में रु. 590.55 करोड़ का प्राक्कलन राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अनुमोदन हेतु पुनः अग्रसारित किया जा चुका है, जिस पर स्वीकृति

अपेक्षित है। अन्य तीन महानगरों कानपुर, इलाहाबाद व लखनऊ की 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' का अनुमोदन भारत सरकार से अपेक्षित है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में प्रस्तावित कार्यो हेतु डी.पी. आर. भारत सरकार के निर्देशानुसार विरचित कर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नयी नीति के अनुसार इलाहाबाद नगर की उक्त योजना को अन्य कार्यक्रम 'जे.एन.एन.यू. आर.एम.' में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

4.6 झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार झीलों के प्रदूषण नियंत्रण को भी नदियों के समान प्राथमिकता दी जानी है । भारत सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश की चार झीलों/तालों नामत: 1-रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), 2-मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर- जनपद-मथुरा), 3-लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा 4-मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं ।

उपरोक्त तालों के प्रदूषण नियंत्रण कार्यो हेतु विस्तृत प्राक्कलन विरचित कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जा चुके हैं ।

1- रामगढ़ ताल, गोरखपुर	रु. 60.97 करोड	3- मानसी गंगा ताल, गोवर्धन	रु. 22.71 करोड
2- लक्ष्मी ताल,झांसी	रु. 32.09 करोड	4- मदनसागर ताल, महोबा	रु. 9.05 करोड

उपरोक्त 4 तालों में से गोवर्धन नगर (जनपद- मथुरा) की मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यो कों प्राथमिकता दी गयी है, तथा मानसी गंगा ताल, गोवर्धन नगर के प्रदूषण नियंत्रण कार्यो का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड़ भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में स्वीकृत किया जा चुका है । इस योजना के कार्य प्रगति पर है तथा अक्टूबर, 2008 तक रु. 2.64 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

5

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

5.1 प्रदेश में कुल 97942 ग्राम आबाद हैं, जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 13.16 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 2,60,110 है। सर्वेक्षण में इसमें से 2,33,341 बस्तियाँ पूर्णतया आच्छादित हैं तथा 7993 अनाच्छादित तथा 18,776 आंशिक आच्छादित चिन्हित हुई हैं।

5.1.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

राजीव गाँधी पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है:-

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढाँचा विकसित कर पेयजल की गुणता को संरक्षित करना।
- ग्रामीण पेयजल में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए सेक्टर रिफार्म प्रारम्भ करना।

5.1.2 पेयजल के मानक

ग्रामीण पेयजल हेतु जलापूर्ति की दर (लीटर में) निम्नानुसार रखी जाये

पीने हेतु	3	स्वच्छता	7
भोजन पकाने हेतु	5	शौच	10
स्नान	15		
		योग	**40**

- प्रत्येक स्रोत हैण्डपम्प से 12 ली0 प्रतिमिनट का स्राव मानते हुए प्रति 250 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प स्थापित किया जाये।
- प्रदेश की समस्त बस्तियाँ (सामान्य) उपरोक्त मानक के आधार पर संतृप्त होने पर राज्य, भारत सरकार की सहमति से पेयजल की आपूर्ति दर में इस प्रतिबन्ध के साथ वृद्धि कर सकते हैं कि ऐसी योजनाओं पर लाभार्थियों द्वारा लागत का एक अंश (न्यूनतम 10 प्रतिशत) वहन किया जाये एवं योजना के संचालन एवं अनुरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी ली जाये।

5.1.3 समस्याग्रस्त बस्तियों का चिन्हीकरण–अनाच्छादित (एन.सी.)/नो सेफ सोर्स (एन.एस.एस.)

1. वे बस्तियाँ जहां कि 1.6 कि0मी0 की दूरी के अन्दर (पहाड़ी क्षेत्र हेतु 100 मीटर की ऊंचाई का अन्तर) में पेयजल हेतु कोई भी सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है।
2. बस्ती में स्थित स्रोत से उपलब्ध पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक की दृष्टि से पेय योग्य नहीं है।
3. बस्ती में स्थित पेयजल स्रोत से उपलब्ध पेयजल मात्रा की दृष्टि से पीने एवं भोजन पकाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

गुणता प्रभावित बस्तियाँ एन.एस.एस. (नो सेफ सोर्स) की श्रेणी में रखी जायेंगी चाहे वे पूर्व के मानक के अनुरूप पूर्ण आच्छादित (एफ.सी.) ही क्यों न हों। वे बस्तियाँ जहां पेयजल की उपलब्धता 8 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक तथा 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हैं, को आंशिक आच्छादित (पी.सी.)की श्रेणी में रखा जाये तथा अन्य सभी बस्तियां एफ.सी. की श्रेणी में वर्गीकृत की जायेंगी।

5.1.4 आच्छादन हेतु प्राथमिकताएं

- गुणता प्रभावित बस्तियाँ फ्लोराइड, आर्सेनिक, खारापन एवं आयरन से प्रभावित बस्तियों को क्रमशः 40:40:15:5 प्रतिशत के क्रम में प्राथमिकता प्रदान की जायें।
- 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में सुविधा का विस्तार पाठशाला, आंगनबाड़ी आदि लोक संस्थानों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम का विवरण

5.2 जिला सेक्टर

5.2.1 ग्रामीण जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता योजना

राज्य सरकार द्वारा पोषित इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 74-75 से किया गया है। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन जिला योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। मुख्य सचिव के आदेश संख्या 914/35-आ-2/99-40 दिनांक 10-08-2000 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन, पाइप पेयजल योजनायें तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्रूद्धार का कार्य किया जाता है। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग के कार्य भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

वर्ष 2001-02 से हैण्डपम्प अधिष्ठापन/पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य सामुदायिक सहभागिता को सम्मिलित करते हुए मॉग के आधार पर किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत खराब हो गई पाइप योजनाओं के पुनर्रूद्धार (रिहैबिलिटेशन) के कार्य भी कराये जा रहे हैं।

5.2.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पेयजल योजना

प्रदेश के कमजोर वर्ग के त्वरित उत्थान हेतु इसी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन/रिबोर के कार्य भी किये जाते हैं। ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सबप्लान के घटक के रूप में धनावंटन किया जाता है।

5.3 केन्द्र पोषित योजनाएँ

5.3.1 त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा पोषित यह कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बस्तियों के आच्छादन का कार्य हैण्डपम्प/पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2001-02 से हैण्डपम्प अधिष्ठापन/ पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य सामुदायिक सहभागिता को सम्मिलित करते हुए माँग के आधार पर किये जाते हैं।

5.3.2 गुणता प्रभावित ग्रामों में जलापूर्ति

भारत सरकार की सहायता से वर्ष 93-94 से, उन ग्रामों में जहाँ पर उपलब्ध पेयजल की गुणता मानक के अनुरूप नहीं है, पाइप द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु 75 प्रतिशत भारत सरकार से 25 प्रतिशत राज्य सरकार से प्राप्त होता है।

2008-09 तक स्वीकृत योजनाओं एवं मार्च 2008 की उपलब्धि निम्नानुसार है :

(रू0 करोड़ में)

	स्वीकृत योजना	स्वीकृत लागत	सम्मिलित बस्तियां		आच्छादित बस्तियां		व्यय	पूर्ण योज-नाएं
			कुल	एन.एस.एस.	कुल	एन.एस.एस.		
मार्च-2008	788	413.33	4675	4005	3322	2786	227.71	300
योग	788	413.33	4675	4005	3322	2786	227.71	300

1.04.2005 को प्रदेश में 6377 गुणता प्रभावित बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2005-06 में 412 बस्तियाँ, वर्ष 2006-07 में 922 बस्तियाँ, वर्ष 2007-08 में 1364 तथा वर्ष 2008-09 में माह नवम्बर तक 184 बस्तियों का आच्छादन पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष 3087 बस्तियों को वर्ष 2009-10 में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5.4 31.03.2008 को ग्रामीण बस्तियों में आच्छादन की स्थिति

वर्ष 1992-93 के सर्वेक्षण में चिन्हित प्रदेश की कुल 2,43,508 आबाद बस्तियों को 30 जून 2001 तक ही 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात् 250 व्यक्तियों हेतु एक हैण्डपम्प के आधार पर आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2004 में भारत सरकार के निर्देशानुसार पुनः विस्तृत सर्वेक्षण कर बस्तियों में पेयजल स्थिति का आंकलन किया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार कुल 2,60,110 बस्तियों में से 2,33,341 आच्छादित (एफ.सी.), 7,993 अनाच्छादित (एन.सी.) तथा 18,776 आंशिक आच्छादित (पी.सी.) बस्तियाँ चिन्हित हुई हैं। सर्वेक्षण के पश्चात् चिन्हित एन.सी. तथा पी.सी. बस्तियों को (गुणता प्रभावित बस्तियों को छोड़कर) मार्च 2008 तक आच्छादित किया जाना प्रस्तावित था। मार्च 2008 तक 260,075 बस्तियों को पूर्ण रूप से आच्छादित (एफ.सी.) किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में अवशेष 35 बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर-2008 तक 22 बस्तियाँ लाभान्वित की गयी हैं।

5.5 पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जनपद में पेयजल की गुणवत्ता की निरन्तर जाँच हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत समस्त 70 जनपदों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। जनपद कांशीराम नगर का सृजन बाद में होने के कारण प्रयोगशाला स्थापना का कार्य अभी शेष है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में गुणता से प्रभावित बस्तियों में अधिष्ठापित समस्त हैण्डपम्पों के जल के नमूनों का रासायनिक परीक्षण कर प्रभावित बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है।

5.6 जल निगम में संचालित योजनाओं का वित्त पोषण :-

वर्ष 2007-08 तक भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही धनराशि के सापेक्ष समकक्ष धनराशि राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाने की बाध्यता रही, जिसकी पूर्ति राज्य द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत की जाती रही। वर्ष 2008-09 से उक्त बाध्यता को समाप्त कर भारत सरकार द्वारा ए. आर.डब्लू.एस.पी. योजना(सामान्य) का वित्त पोषण 50:50 के अनुपात में कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की राशि राज्यांश स्वरूप दिये जाने की बाध्यता है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत स्वजल धारा सिद्धान्त में दिये जाने की व्यवस्था दी गई है जिसका पोषण 90 प्रतिशत ए.आर.पी. से तथा 10 प्रतिशत समुदाय द्वारा वहन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा समुदायिक सहभागिता अंश (10 प्रतिशत) को स्वयं वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5.7 एकादश पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्ताव

एकादश पंचवर्षीय योजनाकाल में रू0 6300 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2008-09 में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रू0 1039.74 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एकादश पंचवर्षीय योजनाकाल में गुणता प्रभावित लगभग 6051 बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलबध कराये जाने का प्रस्ताव है। इसमें से 1364 गुणता प्रभावित बस्तियों को वर्ष 2007-08 में शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में 1600 गुणता प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 30.11.08 तक 184 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अवशेष बस्तियों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

रू0 लाख में

वर्ष	शासन द्वारा स्वीकृत		जल निगम को प्राप्त	
	राज्य सरकार द्वारा	केन्द्र सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	केन्द्र सरकार द्वारा
2007-08	42619.05	40151.00	43548.77	40151.00

वर्ष 2008-09 में स्वीकृत परिव्यय एवं अवमुक्त राशि का विवरण दिनांक 30.11.08 तक :

रू0 लाख में

क्र. सं.	कार्यक्रम	परिव्यय	शासन द्वारा स्वीकृत	निर्गत स्वीकृतियां
1	ग्रामीण जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजना (राज्यांश)	602221.00	48575.60	31775.00
2	त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम (केन्द्रांश)	53974.00	53974.00	473
3	गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु राज्यांश (क्रमांक 1 में समाहित है)	0.00	4750.00	3597.50
4	गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु केन्द्रांश (क्रमांक 2 में समाहित है)	0.00	0.00	0.00
	योग	**656195.00**	**107299.60**	**35845.50**

5.8 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण

झाँसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल सम्पूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित जल संस्थानों का है, जबकि प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह दायित्व पंचायतों का है। जल संस्थान के क्षेत्र में कुछ योजनाओं के हस्तान्तरण न हो पाने के कारण जल निगम द्वारा ही इनका रखरखाव किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-992/38-5-2002 दिनांक 26.

03.2002 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 1.04.02 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

अक्टूबर 2008 तक 126 एकल ग्राम योजनाओं को संचालन एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 में जल निगम द्वारा माह अक्टूबर, 2008 तक 1115 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन व अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जल निगम द्वारा अनुरक्षित की जा रही एकल ग्राम की योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

5.9 वर्षा जल संचयन से भूगर्भ रिचार्ज से सम्बन्धित कार्य

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि से मात्राकृत अंश से विभिन्न स्थानों पर चैक डैम निर्माण तथा वर्षा जल संचयन से भूगर्भ रिचार्ज के भी कार्य कराये गये हैं। उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा चयनित 36 जनपदों के चयनियत 141 क्षेत्र पंचायतों में भूगर्भ रिचार्ज की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में 19 जनपदों में 76 चैक डैम 691 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) से भूगर्भ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स पर कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं ।

6

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ तथा सामुदायिक सहभागिता इकाई

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ तथा सामुदायिक सहभागिता इकाई

6.0 निदेशक मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के नियंत्रण में मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ तथा सामुदायिक सहभागिता इकाई है। गत वर्षो में व वर्तमान में इनके द्वारा कराये गये/जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

6.1 राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

जल सम्पूर्ति के साधनों के निर्माण एवं रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता दृष्टिगोचर होने पर संविधान के 73वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (संशोधित) अधिनियम में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त योजनाओं का रख-रखाव कार्य अब पंचायतों द्वारा कराये जाने के भारत सरकार/शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार से वित्तीय पोषण के अन्तर्गत 62000 से अधिक कर्मियों को हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व सामुदायिक भागीदारी के प्रेरक हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा सघन जागरूकता एवं सचेतना कार्यक्रमों का आयोजन तथा टी.वी. /रेडियो के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम (आई0ई0सी0 कार्यक्रम) भी सम्पन्न कराये गये। भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 के अन्त से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई एवं इसके पश्चात् प्रदेश शासन स्तर से कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी। तदोपरांत प्रदेश शासन द्वारा उक्त कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को सौंप दिया गया है।

6.1.1 गत वर्षो में प्रकोष्ठ द्वारा कराये गये कार्य -

1. नव नियुक्त 28 सहायक अभियन्ताओं का इन्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)	21 बैच	28 कर्मी
2. नव नियुक्त मण्डलीय लेखाकारों का इन्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)	1 बैच	10 कर्मी

3. विद्युत यांत्रिक जूनियर इंजीनियरों का तकनीकी प्रशिक्षण 1 बैच 19 कर्मी
4. सामान्य व एडवान्स कम्प्यूटर प्रशिक्षण 8 बैच 74 कर्मी
5. मोटिवेशन व कम्यूनिकेशन (900 जूनियर इंजीनियर से अधीक्षण अभियन्ता तक) 44 बैच 1100 कर्मी
6. राज्य स्तरीय सेमिनार (नदी जल-गुणता एवं जल संरक्षण) 1 संख्या
7. राज्य स्तरीय सेमिनार (एडवान्सेस इन फिल्ट्रेशन टेक्नीक) 1 संख्या

8. जनपद ललितपुर के सभी 6 विकास खण्डों में हैण्डपम्प मैकेनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ की सहायता से अब तक कुल 865 सी-लेवल तथा 237 बी-लेवल हैण्डपम्प मैकेनिक प्रशिक्षित किये गये एवं जनता को भी पर्यावरण स्वच्छ रखने हेतु जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त 6 ब्लाक प्रमुख, 342 ग्राम प्रधान एवं प्रशिक्षित 'बी' लेवल हैण्डपम्प मैकेनिकों के साथ हैण्डपम्प रिपेयर एवं एच0पी0आर0सी0 के प्रयोग करने हेतु 12 नग एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद ललितपुर में 462, जनपद बलिया में 68 तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 20 आर्सेनिक रहित अधिक गहरे इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के चारों तरफ पर्यावरण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य कराये गये।

प्रशिक्षण कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में यूनिसेफ द्वारा बाढ़ प्रभावित पूर्वांचल के 9 जिलों में 83 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य कराया गया ।

वर्ष 2008-09 में यूनिसेफ की नव नियुक्त सहायक अभियंताओं एवं वित्तीय सहायता से 50 नव नियुक्त जूनियर इंजीनियरों को क्रमशः 6 दिन एवं 12 दिन का कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा 12 दिन एवं 6 दिन का प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

6.2 सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा कराये गये कार्य

6.2.1 डच सहायतित कार्यक्रम–

सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा माह जून 1999 से परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक सहभागिता के कार्य सम्पादित कराये गये।

6.2.2 विश्व बैंक सहायतित स्वजल परियोजना

विश्व बैंक सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की स्वजल परियोजना के अन्तर्गत ललितपुर (बुन्देल खण्ड) के 26 ग्रामों में सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं में सहयोगी संस्था की भूमिका का कार्य तथा ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समिति के माध्यम से इनके अन्तर्गत 24 ग्रामों में 158 नग इण्डिया मार्क–2 का अधि८ठापन एवं दो ग्रामों में लघु पाइप योजना का कार्य व साथ ही 26 ग्रामों में पर्यावरण स्वच्छता हेतु 1361 घरेलू शौचालय, 659 कम्पोस्ट पिट एवं 711 सोखता गढ्ढों के निर्माण कार्य करवाये गये।

6.2.3 हैण्डपम्पो के अधिष्ठापन हेतु सामुदायिक सहभागिता :

वर्ष 2001–2002 में जनपद वाराणसी, बलिया, रायबरेली, बदायूँ, बाराबंकी, तथा ललितपुर के 2–2 विकास खण्डों, गोण्डा, लखीमपुर के 1–1 विकास खण्ड में तथा बाँदा के 5 विकास खण्डों में कुल 185 हैण्डपम्प अधि८ठापन हेतु स्थानीय शाखाओं में कुल रू0 03.85 लाख की अंशदान की धनराशि भी समुदाय को प्रेरित करके जमा करायी गयी।

6.2.4 यूनिसेफ सहायतित कार्य :-

6.2.4.1 बाल पर्यावरण योजना

वर्ष 2000 से 2003 के मध्य यूनिसेफ-डी.एफ.आई.डी. सहायतित कार्यक्रम में बाल पर्यावरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर, बदायूँ एवं ललितपुर के दो-दो विकास खण्डों में 25-25 ग्राम पंचायतों में विभिन्न शासकीय विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग से क्षमता विकास एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वित पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी इकाई द्वारा कराया गया।

6.2.4.2 जनपद इलाहाबाद में आल्टरनेट डिलीवरी सिस्टमः-

जनपद इलाहाबाद में आल्टरनेट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से 9 विकास खण्डों में स्वच्छता प्रसार कार्यक्रम का कार्यान्वियन तीन चरणों में किया गया है। इनके अन्तर्गत ग्राम- वासियों में स्वच्छता सुविधाओं हेतु जागरूकता उत्पन्न करना, पेयजल के सुरक्षित रखरखाव एवं उपयोग हेतु जागरूक करना तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से पंचायतो एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कौशल वृद्धि के कार्य किये गये हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छता से सम्बन्धित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र (रूरल सेनेट्री मार्ट) एवं स्वच्छता सामग्री निर्माण केन्द्रों (प्रोडक्सन सेन्टर) की स्थापना एवं ग्रामों में गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं में माध्यम से शौचालयों के निर्माण एवं प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्था तैयार करने के कार्य सम्मिलित हैं। इस इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में चार प्रोडक्शन सेन्टर क्रमशः नैनी, हंडिया, तुलापुर एवं मलकिया जलकल प्रांगण में बनाए गये थे। इन प्रोडक्शन सेन्टर के साथ एक-एक ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र भी स्थापित किये गये थे जिनसे प्रोडक्शन सेन्टर में निर्मित फेरो सीमेन्ट स्कवैटिंग प्लेटफार्म एवं अन्य सफाई से सम्बन्धित सामग्री लाभार्थियों को लागत पर उपलब्ध कराई जाती रही है।

6.2.4.3 अरबन इनीसिएटिव इन स्लम्स ऑफ इलाहाबादः-

यूनिसेफ सहायतित अरबन इनीसिएटिव इन स्लम्स ऑफ इलाहाबाद कार्यकम के अन्तर्गत अन्तर्रा८ट्रीय संस्था केयर इण्डिया द्वारा जनपद इलाहाबाद की 40 मलिन बस्तियों में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए प्रजनन एवं स्वास्थ्य के लिए चलाये जा रहे ''आसरा'' कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं जन संचेतना के कार्य कराये गये। कार्यक्रम के अन्तर्गत ''केयर'' की इलाहाबाद इकाई के स्टाफ, ट्रेन्ड बर्थ अटेण्डेन्ट (टी0 बी0 ए0), ए0 एन0 एम0, आँगनबाडी कार्यकर्ती, स्कूल टीचर, एडोलसेन्ट गर्ल्स गाइड (ए0 जी0 जी0) एवं एडोलसेन्ट ब्वायस गाइड (ए0 बी0 जी0) इत्यादि हेतु पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जनपद इलाहाबाद की मलिन बस्तियों में हैण्ड पम्पों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु महिला हैण्डपम्प मेकेनिकों का प्रशिक्षण तथा मलिन बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता की जाँच का कार्य भी कराया गया एवं 143 में से 40 मलिन बस्तियों में ''केयर'' के सहयोग से स्वच्छता प्रसार कार्यक्रम कराया गया।

6.2.5 राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा पोषित आई.ई.सी. कार्यः

इकाई द्वारा आई.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चार जनपदों क्रमशः रायबरेली, वाराणसी, बाँदा एवं हाथरस में जिला समन्वय इकाई के माध्यम से ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण, के साथ-साथ दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य संचार माध्यमों से जनसमुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी देकर जागरूक करने का कार्य किया गया है।

6.2.6 प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य :-

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त 70 जनपदों की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के

सर्वेक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थानीय इकाईयों के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के सहयोग से किया जा चुका है।

6.2.7. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी द्धवाटर क्वालिटी मानीटरिंग एवं सर्विलेन्स कार्यक्रम :-

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम प्रदेश में राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा उ0 प्र0 जल निगम के समन्वय/सहयोग से किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 मुख्य अवयव है :-

1. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण :-

इसके अन्तर्गत समुदाय को पेयजल की गुणवत्ता, पेयजल स्रोतों का सुचारू रखरखाव एवं जल जनित रोगों के बारे में जानकारी देकर पेयजल के उपयोग एवं उनके रखरखाव के सम्बन्ध में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु गतिविधियां की जा रही है।

2. मानव संसाधन विकास :-

चूंकि पेयजल स्रोतों का परीक्षण ग्राम स्तर पर ग्राम वासियों के द्वारा ही किया जाना है अत: मानव संसाधन विकास हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण करने हेतु कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण एवं मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित उपरोक्त दोनों गतिविधियाँ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित की जा रही हैं । इन कार्यक्रमों में जल निगम द्वारा प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेकर योगदान दिया जा रहा है।

3. पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :-

इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों की टर्बिडिटी, पी०एच०, सम्पूर्ण कठोरता, क्लोराइड, आइरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, अवशेष क्लोरीन तथा जैविक गुणता के मानकों के लिए अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित है:-

(क) ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था :-

ग्राम पंचायत स्तर पर फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता की जाँच के लिए एक फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएगी। **उ0 प्र0 जल निगम द्वारा फील्ड टेस्ट किट की व्यवस्था करके खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है।**

(ख) जनपद स्तरीय व्यवस्था :-

ग्राम पंचायतों के द्वारा जाँचे गये नमूनों में से कम से कम 30 प्रतिशत नमूनों की उ0 प्र0 जल निगम की जनपदीय प्रयोगशालाओं द्वारा जाँच। जनपद स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा उन स्रोतों की अनिवार्य रूप से जाँच की जाएगी जहाँ ग्राम स्तरीय जाँच में प्रदूषण की संभावना पाई गई है।

(ग) राज्य स्तरीय व्यवस्था :-

राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के द्वारा जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा जाँचे गये नमूनों में से कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों की जाँच की जाएगी इनमें वे नमूने भी सम्मिलित होंगे जिनमें प्रदूषण पाया गया।

फील्ड स्तर पर गतिविधियाँ पंचायतों द्वारा की जानी हैं तथा मानीटरिंग एवं सर्विलेन्स गतिविधियों हेतु जल निगम द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को टर्बिडिटी, पी०एच०, सम्पूर्ण कठोरता, क्लोराइड, आइरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा अवशे८ा क्लोरीन पैरामीटर्स के रासायनिक परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट तथा जीवाणु परीक्षण हेतु एच टू एस की शीशियों की व्यवस्था करके उपलब्ध करायी जा रही है। फील्ड स्तरीय जाँच के लिए प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रयोग हेतु आवश्यक मात्रा में रासायनिक परीक्षण फील्ड टेस्ट किट तथा बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण हेतु एच टू एस वायल्स की आपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है। रासायनिक परीक्षण फील्ड टेस्ट किट तथा एच टू एस वायल्स को ग्राम पंचायतों को वितरण हेतु विकास खण्ड अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

6.2.7.3 जल मार्ग कार्यक्रम

यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से 14 नवम्बर-2008 से प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी/अपर प्राइमरी स्कूलों जहाँ पेयजल गुणवत्ता उचित नहीं है में '' स्टैण्ड एलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम'' लगाये जाने की जिला स्तर पर व्यवस्था कराई जा रही है।

6.2.8 यूनिसेफ सहायतित आर्सेनिक अध्ययन कार्य -

6.2.8.1 प्रथम चरणः-

सर्वप्रथम 2003 में उत्तर प्रदेश में जनपद बलिया में आर्सेनिक की समस्या के प्रकाश में आने पर यूनिसेफ की सहायता से प्रदेश के जनपद बलिया तथा लखीमपुर

खीरी में पीने के पानी में आर्सेनिक की उपलब्धता के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हेतु कार्ययोजना सामुदायिक सहभागिता इकाई, द्वारा तैयार की गई। कार्य योजना के अन्तर्गत उक्त जनपदों में यूनिसेफ द्वारा आर्सेनिक टेस्टिंग हेतु जनपदों में प्रयोगशालाओं को टेस्टिंग उपकरण यू०वी० स्पेक्ट्रोफोटोमीटरए आर्सिनेटर, आर्सेनिक फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराने, सैम्पल एकत्र करने, सैम्पल की जांच के साथ-साथ प्रशिक्षण/ जन जागरूकता के कार्यो का प्राविधान किया गया। कार्य योजना के प्रथम चरण में बलिया तथा लखीमपुर जनपदों में आर्सेनिक की प्रारम्भिक स्क्रीनिंग टेस्टिंग का कार्य किया जा चुका है।

6.2.8.2 द्वितीय चरण :-

उक्त कार्य योजना के द्वितीय चरण में जनपद बलिया एवं लखीमपुर में प्रथम चरण में चिन्हित क्षेत्रों में आर्सेनिक की सघन परीक्षण एवं प्रदेश के अन्य 49 जनपदों के 289 विकास खण्डों में आर्सेनिक की प्रारम्भिक छानबीन परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। कार्ययोजना के अन्तर्गत लखनऊ स्थित जल निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं वाराणसी जनपदीय प्रयोगशाला हेतु यू. वी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

6.2.8.3 तृतीय चरण :-

द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग टेस्टिंग के दौरान जिन 5 जनपदों बहराइच, बरेली, चन्दौली, गोरखपुर एंव गाजीपुर में आर्सेनिक अशुद्धि वाले सर्वाधिक स्रोत पाये गये थे उनमें सघन परीक्षण के कार्य कराये गये हैं।

सघन परीक्षण के दौरान जिन बस्तियों के पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गयी है तथा जिनमें कोई भी सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक्सट्रा डीप हैण्डपम्प

अधिष्ठापन, सैनेट्री वेल, तथा वर्षा जल संचयन टैंक के निर्माण के लिए कार्यवाही की जा रही है। सघन परीक्षण के दौरान आर्सेनिक से प्रभावित पाये गये स्रोतों को लाल रंग से चिन्हित करके जन समुदाय को इन स्रोतों का जल खाना पकाने एवं पीने में न प्रयोग करने हेतु जागरूक करने के लिए विभिन्न आई. ई. सी. गतिविधियां स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से की जा रही हैं।

6.2.9 यूनिसेफ सहायतित मल्टी डिस्ट्रिक्ट असेस्मेन्ट आफ वाटर सेफ्टी कार्यक्रम :-

प्रदेश के तीन जनपदों क्रमशः इलाहाबाद, गोरखपुर एंव ललितपुर में पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता के अध्ययन हेतु यूनिसेफ द्वारा एक शो़ध योजना क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच के लिए उन्नत प्रकार के फील्ड टेस्ट किट यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। कार्य योजना के परिणामों के अध्ययन के उपरान्त समस्त प्रदेश हेतु पेयजल आपूर्ति प्रणाली की संरक्षा हेतु रणनीति विकसित की जायेगी। कार्य योजना के अन्तर्गत जल गुणवत्ता की जांच के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा परीक्षण के परिणाम यूनिसेफ को विश्लेटाण हेतु प्रेटिात किये जा चुके हैं।

6.2.10 आनलॉइन डाटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंगः-

राजीव गाँधी पेयजल मिशन के निर्देशानुसार प्रदेश में ग्रामीण बस्तियों के आच्छादन की स्थिति, बस्तियों की पेयजल गुणवत्ता, त्वरित जल आपूर्ति के अन्तर्गत समस्त कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा ''राट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम की प्रशिक्षण तथा जल परीक्षण की प्रगति की आर्नलाइन डाटा इन्ट्री की जानी है। इकाई द्वारा प्रदेश स्तर पर इस कार्य का समन्वय किया जा रहा है। इकाई द्वारा इस कार्य हेतु जनपदीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा आनलाइन इन्ट्री का कार्य प्रगति पर है।

7

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती है, साथ ही नगरों की जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य भी कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए ''कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम'' नाम से एक विंग का सृजन, निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के पद संख्या 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के कार्यकारी आदेश सं0-415/पी0-1/173 दिनांक 19.04.89 के द्वारा हुआ था। शासनादेश संख्या-2401/9-3-91-249 सी/91 दिनांक 06.06.91 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी की श्रेणी में नामित किया गया है।

यह विंग एक निदेशक, जो कि उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होते हैं, के अधीन कार्यों का सम्पादन करती है। विंग में तीन मुख्य महाप्रबन्धक, अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी, 10 महाप्रबन्धक, अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी भी कार्यरत हैं जिनमें से 07 लखनऊ में, 02 गाजियाबाद में तथा एक कानपुर में तैनात है, जिनके अधीन 43 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एवं 03 यूनिटें प्रदेश के बाहर जिनमें से 1-1 यूनिट गुजरात(अहमदाबाद), मुम्बई(महाराष्ट्र), जम्मू-कश्मीर (जम्मू) में कार्यरत है। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबन्धक होते हैं, जो सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी हैं। इस विंग में लगभग 234 जूनियर इंजीनियर विभिन्न यूनिटों में कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट को स्वावलम्बी होने के लिए यह आवश्यक है कि इनका टर्नओवर प्रति वर्ष लगभग रू० 7.00 करोड़ रूपये हो अर्थात विंग के स्वावलम्बी होने के लिए विंग का टर्नओवर रू० 322.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

वित्तीय एवं भौतिक स्थिति :-

वर्ष 2007-08 में रू० 346.96 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष (मासिक लेखा के अनुसार) माह 03/2008 तक रू० 350.57 करोड़ का टर्नओवर हुआ, जिससे रू० 31.64 करोड़ की सेन्टेज प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में विगत वर्ष की अवशेष 13 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 565 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष कुल 714 परियोजनायें पूर्ण की गई।

वर्ष 2008-09 में रू० 465.00 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष (मासिक लेखा के अनुसार) माह 08/2008 तक रू० 213.23 करोड़ का टर्नओवर हुआ, जिससे रू० 20.59 करोड़ की सेन्टेज अर्जित की गई। वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 776 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष माह 07/2008 तक कुल 148 परियोजनायें पूर्ण की गई।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में जे0एन0एन0यू0आर0एम0/यू0आई0डी0एस0एस0 एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 नगरों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रस्तावित है, जिनकी अनुमानित लागत रू० 281.75 करोड़ है, जिनमें से 5 नगरों में भूमि अप्राप्त है। शेष 14 नगरों हेतु निविदायें आमंत्रित कर 6 निविदाओं पर निर्णय लिया जा चुका है।, जिसमें से कानपुर नगर हेतु अनुबन्ध बनाकर कार्य प्रारम्भ की तिथि दी जा चुकी है।

विगत वर्षो की उपलब्धि निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या				उपलब्ध धनराशि (रू० करोड़ में)			
	अवशेष निर्माणाधीन	वर्ष में प्रारम्भ	पूर्ण की गई	अवशेष निर्माणाधीन	अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त	कुल उपलब्धियां	व्यय
प्रारम्भ से 3/2001 तक	-	-	2262	1648	-	-	-	814.27
2001-2002	1648	376	713	1311	56.10	176.59	332.69	233.26
2002-2003	1311	373	443	1241	99.43	156.49	355.92	247.07
2003-2004	1241	594	334	1501	108.85	176.08	384.93	332.62
2004-2005	1501	527	620	1408	52.31	144.21	296.52	226.03
2005-2006	1408	743	427	1724	70.49	328.62	399.11	259.63
2006-2007	1724	700	487	1937	139.48	436.49	575.97	294.60
2007-2008	1937	470	714	1693	181.37	388.02	569.39	349.46
2008-2009 upto 08/2008	1693	173	175	1691	219.93	321.67	541.60	313.23

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ

विवरण

विवरण	यूनिट	वर्ष 2007-08			वर्ष में उपलब्धि	वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित लक्ष्य			उपलब्धि	टिप्पणी
		अवशेष	वर्ष में	कुल(3+4)		अवशेष	वर्ष में	कुल(3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
योजना पूर्ण करना	संख्या	13	552	565	714	0	776	776	175	

वित्तीय

	वर्ष 2007-08 में सी.एण्ड डी.एस. का अनुमान, प्राप्तियाँ तथा प्रगति						वर्ष 2008-09 में सी.एण्ड डी.एस. का अनुमान, प्राप्तियाँ तथा प्रगति					
	1.4.2007 को अवशेष	अनुमानित प्राप्तियाँ (पी.एल.ए. सहित)	शासन स्तर से निर्गत स्वीकृतियाँ	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध (2+5)	वर्ष में व्यय (माह मार्च 2008 तक)	1.4.2007	अनुमानित प्राप्तियाँ (पी.एल.ए. सहित)	शासन स्तर से निर्गत स्वीकृतियाँ	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध (2 + 5)	वर्ष में व्यय (माह अगस्त 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
योजना पूर्ण करना	181.37	350.00	388.02	388.02	569.39	349.46	219.93	465.00	321.67	321.67	541.60	213.23

(52) (53)

४

वित्तीय प्राविधान एवं उपलब्धियाँ